न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 16/2025 G.C.M.S. No. 2025/61 दर्ज दिनांक : 03.02.2025

अपीलार्थिगण:

उदाराम पुत्र गंगदा, उम्र 48 वर्ष, जाति कलबी, निवासी डबाल, तहसील सांचौर, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मफा पुत्र रगा,
2. अमीया देवी पत्नी खेदाराम,
3. कमलेश पुत्र खेदारमा (नाबालिग)
4. श्रमण पुत्र खेदाराम (नाबालिग)
   कमलेश व श्रवण नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अमीया देवी
5. लाधाराम पुत्र ओखाराम,
6. गिरधारी पुत्र ओखाराम,
7. भूरी देवी पत्नी ओखाराम,
8. मनजीराम पुत्र गंगदा,
   समस्त जातियान कलबी, निवासीगण डबाल, तहसील सांचौर, जिला जालोर।
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2015 बअनवान रगा के का. मु. मफा वगैरह बनाम गंगदा के का. मु. ओखाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री ओमप्रकाश चौधरी, श्री प्रफुल सोंलकी, श्री कानाराम पटेल विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराड़ा, श्रीमती वर्षा विश्नोई विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2015 बअनवान रगा के का. मु. मफा वगैरह बनाम गंगदा क का. मु. ओखाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 4 ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) के तहत उपखण्ड अधिकारी सांचौर में इस आशय का पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किया कि ग्राम डबाल के वर्तमान खसरा संख्या 319 में जाने हेतु खसरा संख्या 318 में से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया जिस पर सिर्फ पटवारी व आर. आई के द्वारा मौका देखा गया जिसकी रिपोर्ट पर रास्ता देने का निर्णय दिया गया। अपीलाण्ट को समुचित गवाह सबुत का मौका दिये बगैर ही अपीलाण्ट की आपत्ति के बावजुद रास्ता देने का निर्णय दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय दिया है वो मौका रिर्पोट दिनांक 04.07.2016 को देखा गया था, यानि निर्णय के करीबन 8 साल पूर्व मौका देखा गया था। 8 साल में मौके पर कई परिवर्तन आ जाते है और आये भी है। जिस पर महातत अदालत ने काई ध्यान नहीं दिया है। मौका रिपोट दिनांक 04.07.2016 में खसरा नम्बर 321 की पूर्वी माठ से रास्ता देने उपलब्ध होना बताया गया था और खसरा न. 321 का ही उल्लेख किया गया था। लेकिन महातत अदालत ने अपने निर्णय में खसरा न. 321 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि केवल खसरा न. 331 का उल्लेख किया है और खसरा न. 331 के पास से रास्ता दिया है जिसका का मौका रिर्पोट में कही पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ना ही महातत अदालत के द्वारा वापस कोई मौका रिर्पोट मंगवाई गई है। इस प्रकार मौका रिर्पोट और महातत अदालत का निर्णय दोनो आपस में मेल नहीं खाते है। दोनो में वर्णित खसरा न. भी अलग अलग होने से निर्णय अपने आप में खडित है। 8 साल में मौके पर कई परिवर्तन आये है उक्त प्रस्तावित रास्ते पर ढाणी व रहवास बना हुआ है। मौके से नहर भी निकल रही है तथा खसरा न. 331 नाडी पर नर्मदा नहर के द्वारा पानी स्टोरेज के लिए डीकी भी बनाई हुई है जिसमें पानी स्टोर होता है जिसपर पर पक्का निर्माण किया हुआ है आठ सालं पहले नाडी पर जो माठ थी वो माठ अभी मौके पर नहीं है। अपीलाण्ट का खेत ख.न. 318 किसी राजकीय मार्ग से जुड़ा हुआ नही है तथा ना ही कोई रास्ता लगता है। जिसका जवाब अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दे दिया था जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रार्थी में केवल खसरा न. 318 में से रास्ता मांगा था, तथा राजकीय मार्ग से खसरा न. 318 तक जोर सरकारी भूमी है उसमें से भी रास्ता जोडने की मांग की थी लेकिन प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट सं. 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार को पार्टी नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में सरकारी भूमी में व नाडी में से रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार या नर्मदा नहर के अधिकारियो से कोई रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त नहीं की है ना ही तहसीलदार या नर्मदा नहर के अधिकारियो को पक्षकार बनाया है। इस प्रकार उक्त निर्णय ही खारीज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

होने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा न. 331 गै.मु. नाडी जो जल संग्रह क्षेत्र है उसमें से रास्ता देने में भूल की है। जबकि वर्तमान में खसरा न. 324, 325, 322, 330 से होकर नहर निकल रही है जिसका स्टोरेज खसरा न. 331 गै.मु. नाडी में भी है। उक्त नर्मदा नहर के दोनो ओर आवागमन के लिए 15–15 फीट चौडे रास्ते भी है। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 4 के खसरा न. 319 से लगता हुआ खसरा न. 330 है जिसमें से नहर निकल रही है तथा नहर के किनारे रास्ते से ही सभी पक्षकार आवागमन कर रहे। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपीलण्ट के खेत मे से कटाव कर रास्ता मांगा है जबकि अपीलाण्ट के स्वयं का खेत खसरा न. 318 किसी राजकीय मार्ग से जुडा हुआ नही है। मौका पटवारी के द्वारा ही देखा गया है जबकि विधिवत रुप से मौके की पैमाईस तहसीलदार के द्वारा ही जानी चाहिए थी जो नही की गई उक्त तहत्वपुर्ण बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय के फैसले में काई वर्णन नहीं है जो नियमानुसार आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी कानूनी बिन्दुओं की पालना किये बगैर ही फैसला कर दिया गया जिससे अपीलाण्ट अपने अधिकारो से वचित रह गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी ओखाराम के कायम मुकाम को अपने निर्णय में पक्षकार बताया है लेकिन इन्हें कब रेकर्ड पर लिया इन्हे कब नोटिस दिया वो किसी आर्डरशीट में नहीं है ना ही निर्णय. में हवाला है। अप्रार्थी के नाम कि ट्रेक रिर्पोट दिनांक 9.9.2024 की पत्रावली में है लेकिन इस तारीख व इससे पूर्व की तारीख पर इन्हे रेकर्ड पर लेने व नोटिस भेजने का कोई हवाला नहीं है क्योकि उक्त प्रत्रावली दिनांक 26.07.2024 से अंतिम बहस में चल रही है तो बहस वाली पत्रावली में नोटिस क्यो जारी किये वो हवाला कही नहीं है। कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने के बाद उनको जवाब व साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा बिना उन्हें अवसर दिये व रेकर्ड पर लिए सीधा आदेश दे दिया गया है जो विधि के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। दिनांक 5.7.2024 को केवल मृतक खंदाराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का आदेश दिया गया था जो आर्डरशीट में साफ लिखा हुआ है लेकिन ओखाराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने की कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है। अपीलाण्टगण को उक्त फैसले का ज्ञान दिनांक 21.01.2025 को ही हुआ है फैसले के ज्ञान से यह अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। जिसमें अलग से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया जा रहा है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिन्हे इस अपील का अभिन्न अंग समझा जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें

म्याद के बिन्दुओं पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडण्ट संख्या 01 से 04 ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौजा डबाल के खसरा संख्या 319 में आने–जाने हेतु रास्ता चाहा गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.10.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 318 में से खसरा संख्या 331 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे 132 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील लगभग 108 दिवस के विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।

2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट्स द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 4 अपीलाण्ट के काकाई भाई लगते है तथा उनके द्वारा अपीलाण्ट को बताया गया कि हमने प्रकरण वापस ले लिया है तथा अब हम नहर के पास वाले रास्ते से ही आयेंगे जिस पर अपीलाण्ट के द्वारा विश्वास कर लिया गया और उक्त प्रकरण को समाप्त होना मान लिया क्योकि मौका देखने के 8 साल बाद तक कोई कार्यवाही या नोटिस इत्यादि नहीं आया था। दिनांक 20.01.2025 को रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 4 के द्वारा अपीलाण्ट के खेत में से जबरन रास्ता निकालने की कोशिश की और मुझे कहा कि हमारे हक में फैसला करवा दिया है जिस पर अपीलाण्ट ने दिनांक 21.01.2025 को नकले लेने हेतु न्यायालय में गया तथा आवश्यक रुप से दिनांक 21.01.2025 को प्राप्त की जिसके मिलने पर अपीलाण्ट को उक्त फैसले का पूर्ण ध्यान हुआ, जिस पर अपीलाण्ट ने तत्काल यह अपील पेश कर रहा है जो अपील इल्म की तारीख से अन्दर म्याद पेश है। अपीलाण्टगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उक्त फैसले का ज्ञान दिनांक 21.01.2025 को ही हुआ है फैसले के ज्ञान से यह अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर शुमार फरमायी जावे।

3. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील में लगभग 108 दिवस का विलम्ब है, जो दीर्घ विलम्ब नहीं है। प्रकरण में विलम्ब अपीलांट की लापरवाही से कारित होना स्पष्ट नहीं हैं। अतः हमारे विन्रम अभिमत में प्रकरण का निर्णयन कठोर तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर न किया जाकर गुणावगुण के आधार किया जाना चाहिए। उभयपक्षकारान को सुनवाई अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः अपीलाण्ट के प्रति नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्बकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थीगण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2015 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तथा संबंधित तहसीलदार सांचौर से दिनांक 04.07.2016 द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी। उसी रोज भू–अभिलेख निरीक्षक सांचौर द्वारा मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकनानुसार भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण से पूर्व पक्षकारान् को सूचित किये जाने बाबत् कोई अंकन नहीं है, न ही भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका फर्द के साथ नजरी नक्शा तैयार किया गया। भू. अ. नि. द्वारा मौका फर्द में प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभावित विकल्प नहीं दर्शाकर महज प्रार्थी की मांग अनुसार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पहुंच मार्ग के लिए निकटतम दूरी के विकल्प की जांच व निर्धारण नहीं किया जा सकता। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर किया बिना एवं अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में कोई विचार व विनिश्चय किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना स्पष्ट है जो त्रुटि पूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

5. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण व दुषित होने से एवं अपील अपीलाण्ट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2015 बअनवान रगा के का.मु. मफा वगैरह बनाम गंगदा के का.मु. ओखाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि, प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से उभयपक्षकारान् को सूचित करवाते हुए प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग के अभाव, रास्ते की मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर है या नहीं तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव पहुंच मार्ग के विकल्प दर्शाते हुए पुनः जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं नियम 69 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अपने विनिश्चय का आधार व कारण दर्शित करते हुए स्पीकिंग आदेश के साथ गुणावगुण के आधार पर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2026 को असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner